



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

विद्युत नियामक भवन

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून

PH. 0135-2641115 Website www.uerc.gov.in E-mail- scec.uerc@gov.in

संख्या: U1/प्रशा0/6(4)/उविनिआ/2023-24/ 900

दिनांक: 30 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

	1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
	2. सदस्य (विधि), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	3. सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	4. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
	5. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
वाणिज्य एवं उद्योग	6. अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
	7. अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
	8. अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर	सदस्य
कृषि	9. प्रेसीडेंट, मसूरी होटल एसोसियेशन, मसूरी, देहरादून।	सदस्य
	10. संयुक्त निदेशक (नियोजन), कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।	सदस्य
श्रम परिवहन	11. उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।	सदस्य
	12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन, निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून।	सदस्य
शैक्षणिक एवं अनुसंधान	13. विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।	सदस्य
	14. प्रोफेसर एवं हेण्ड, डिपार्टमेन्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
उपभोक्ता प्रतिनिधि गैर सरकारी संगठन	15. श्री अतुल कुमार अग्रवाल, पूर्व निदेशक (परिचालन), यूपीसीएल, निवास- 122, दून पाम सिटी, पथरीबाग, देहरादून।	सदस्य
	16. श्री राजीव कुमार अग्रवाल, 32, इन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून।	सदस्य
	17. श्री प्रकाश रावत, जय नन्दा वैलफेयर सोसाईटी (NGO) फ्लेट न0-06, लेन नं0-9, देवऋषि एनक्लेव, देहरादून, देहरादून।	सदस्य

क्रमशः2

h

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सलाह देना है:-

- (i) major questions of policy;
- (ii) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
- (iii) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;
- (iv) protection of consumers interest; and
- (v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय।

आयोग की आज्ञा से,


(नीरज सती)
सचिव


- संख्या-01/प्रशा0/6(4)/उविनिआ/2023-24/ 900 तद्दिनांक,
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 2. विद्युत सलाहकार समिति के समस्त सम्मानित सदस्यगण।


(नीरज सती)
सचिव
